कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/49 | नया रायपुर, दिनांक 17/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Korea Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber Cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.746 ha. regarding.**
पंजीयन क्रमांक –**FP/CG/OFC/42198/2019**

संदर्भः— 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–24/ 2020/ 10–2 दिनांक 29.01.2021

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.–131/ 2021/ 285 दिनांक 13.02.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का अनुरोध है। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

उक्त 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार हैः–

क.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी।	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित मार्गो को आवेदक विभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 09.07.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया था किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में वर्णित सोनहत ब्लॉक के 07 मार्ग जो गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि में स्थित है, उनमें आवेदक विभाग के संयुक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कराये गये है एवं इस बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त प्रमाण पत्र का उल्लेख भी वन मंडल स्तर से नहीं किया गया है। **(सुलभ संदर्भ हेतु पृ. क्रमांक–76 की प्रति संलग्न)**
2	यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तालिका में संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2020 के बिन्दु क्रमांक 17 में प्रदायित जानकारी अनुसार प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित मार्गो में से गैर वानिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 7 मार्ग जो गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान

	वन मंडलाधिकारी तथा आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए था, किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में उक्तानुसार संयुक्त प्रमाण पत्र संधारित नहीं है अपितु केवल वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 7 मार्ग को गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि में दर्शाया गया है।	के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि में स्थित है । तत्संबंध में संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पत्र दिनांक 12.02.2021 द्वारा यह जानकारी दी गई है कि आज कि स्थिति में 10 कि.मी. के परिधि में Eco-Sensitive Zone अधिसूचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की सीमा से 7 कि.मी. के परिधि में Eco-Sensitive Zone अधिसूचित करने का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा उनके पत्र कमांक 1483 दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। **(पत्र की छाया प्रति संलग्न)**
3	उपरोक्त स्थिति में क्या विषयांकित गैर वानिकी कार्य की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दी जा सकती है? कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में चूंकि प्रकरण ओ.एफ.सी केबल लाईन बिछाने से संबंधित है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— संदर्भित पत्र मूलतः (9 पृष्ठीय)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–816/ 452 रायपुर, दिनांक 17/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, कोरिया वन मंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़